कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/MIN/39881/2019/ 3257 भोपाल, दिनांक 21/09/2022

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003

विषयः– **वन मंडल अनूपपुर के परिक्षेत्र कोतमा के विभिन्न वन कक्षों के रकबा 314.743 हे. वनभूमि तथा ग्राम फुलकोना, डूमरकछार व भलमुड़ी के विभिन्न खसरों के रकबा 39.515 हे. राजस्व वनभूमि कुल 354.258 हे. वनभूमि में झिरिया वेस्ट ओपन कास्ट पद्धति से कोयला उत्खनन के व्यपवर्तन का–SECL का आन लाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/39881/2019**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र./8-14/2020-FC दिनांक 03/02/2022

---0---

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र क्र./8-14/2020-FC दिनांक 03/02/2022 से 07 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। चाही गई जानकारी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा पत्र क्रमांक/16 दिनांक 30/08/2022 से प्रस्तुत की गई है जो मुख्य वन संरक्षक शहडोल के पत्र क्रमांक/6390 दिनांक 19/9/2022 से प्राप्त हुई है जो निम्नानुसार हैः–

क्र.	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी
i	The State Govt. has now intimated that the total area of the Coal block is 427.993 ha. whereas the same has been mentioned as 482.694 ha in the Mine closure Plan/Mining Plan. This needs clarification.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा अवगत कराया गया है कि झिरिया वेस्ट माईनिंग प्लान का रकबा संशोधित किया गया है। माईनिंग प्लान का रकबा 482.694 हेक्टेयर से संशोधित कर 427.993 हेक्टेयर कर दिया गया है। इस माईनिंग प्लान को संशोधित करने के संबंध में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, निदेशक समिति, बिलासपुर का पत्र क्रमांक 23/08/2022 प्रस्ताव के भाग–1 में अतिरिक्त जानकारी के कॉलाम में अपलोड किया गया है। इस पत्र की प्रति Annexure-I पर संलग्न है। साथ ही आवेदक संस्था ने झिरिया वेस्ट माईनिंग लीज रकबा 427.993 हेक्टेयर का माईनिंग प्लान एवं माईन्स क्लोजर प्लान को भी ऑनलाईन प्रस्ताव में अपलोड कर दिया गया है। जिसकी प्रति Annexure-II पर संलग्न है।
ii	It has been intimated that an area 7.143 ha will be used as Safety Zone however the KML file of 7.143 ha forest land for Safety Zone has not been uploaded on PARIVESH portal, which is required to be done. It is pertinent to mention here that the area of safety zone has been mentioned as 84.778 ha in the Mine Plan/Mine closure plan. This needs clarification.	7.143 हेक्टेयर वनक्षेत्र को सेफ्टी जोन में सम्मिलित करने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक संस्था द्वारा इसे माईनिंग के लिये प्रस्तावित किया गया था। मुख्य वन संरक्षक, शहडोल द्वारा इस 7.143 हेक्टेयर को सेफ्टी जोन में रखने की अनुशंसा की गई थी। इसी अनुसार राज्य शासन द्वारा भी अनुशंसा की गई थी। पूर्व में माईनिंग सेफ्टी जोन रकबा 84.778 हेक्टेयर माईनिंग प्लान रकबा 482.694 हेक्टेयर के अनुसार था, परन्तु संशोधित माईनिंग प्लान रकबा 427.993 हेक्टेयर के अनुसार माईनिंग सेफ्टी जोन का क्षेत्रफल 92.175 हेक्टेयर संशोधित हुआ है। इस 92.175 हेक्टेयर की KML File प्रस्ताव के भाग–1 के C (ii) (a) के अनुक्रमांक–3 में अपलोड कर दी गई है। इस माईनिंग सेफ्टी जोन रकबा 92.175 हेक्टेयर में 7.143 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित है, जिसे नीले रंग में दर्शाया गया है।

<table>
<tr>
<td>ii</td>
<td>The component wise breakup given in the Part-1 of the application is also required to be corrected keeping in view the exact area under safety zone, roads and other proposed land use.</td>
<td>आवेदक संस्था द्वारा आवेदित वनक्षेत्र का component wise breakup ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–1 के अनुक्रमांक B-2.4 में अपलोड कर दिया है, जो निम्नानुसार है :–
<table>
<tr><th>component</th><th>Forest (in Ha.)</th><th>Non-Forest (in Ha.)</th><th>Total Area</th></tr>
<tr><td>Quarry Area</td><td>285.651</td><td>38.119</td><td>323.77</td></tr>
<tr><td>Mining Safety Zone</td><td>65.366</td><td>26.809</td><td>92.175</td></tr>
<tr><td>Infrastructure</td><td>0</td><td>4.778</td><td>4.778</td></tr>
<tr><td>Road</td><td>3.241</td><td>4.029</td><td>7.27</td></tr>
<tr><td>Total-</td><td>354.258</td><td>73.735</td><td>427.993</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>iv</td>
<td>The details in the Mining Plan/Mine Closure plan must be commensurate with the details given in the project proposal. The corrective measures area therefore required to be taken in this regard.</td>
<td>आवेदक संस्था द्वारा CMPDI द्वारा तैयार किया गया झिरिया वेस्ट कोल ब्लॉक माइनिंग प्लान एवं माइन क्लोजर प्लान को SECL निदेशक समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, की प्रति प्रस्तुत की गई है, जो संलग्न है।</td>
</tr>
<tr>
<td>v</td>
<td>The progressive mine closure plan (phase wise, year wise) including the exact details of the area proposed for mining, safety zone and other components is required to be submitted.</td>
<td>Phase wise progressive mine closure plan Annexure-II पर संलग्न प्रस्तुत है।</td>
</tr>
<tr>
<td>vi</td>
<td>Out of 16 patches for CA, 8 patches are having pre-plantation operations carried out in the past and having, presence of Settlements, Agriculture land etc. within the proposed CA boundary. The areas proposed for CA have to be suitable for plantation and free from all encumbrances.</td>
<td>क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये 16 पेचस में से 07 पेंचस में परिवर्तन किया गया है। 07 टुकड़ों में से 05 टुकड़े नये कक्षों में लिये गये है, जबकि 02 टुकड़ो में सुधार किया गया है। इन 07 टुकड़ों का विवरण निम्नानुसार है :–
<table>
<tr><th colspan="3">हटाया गया वन कक्ष</th><th colspan="3">जोड़ा गया वन कक्ष</th></tr>
<tr><th>वन मण्डल</th><th>वनकक्ष क्रमांक</th><th>रकबा</th><th>वन मण्डल</th><th>वन कक्ष क्रमांक</th><th>रकबा</th></tr>
<tr><td>अनूपपुर</td><td>RF-373</td><td>50</td><td>द. शहडोल</td><td>RF-746</td><td>50</td></tr>
<tr><td>अनूपपुर</td><td>RF-394</td><td>50</td><td>द. शहडोल</td><td>RF-754</td><td>50</td></tr>
<tr><td>अनूपपुर</td><td>RF-399</td><td>50</td><td>द. शहडोल</td><td>RF-755</td><td>50</td></tr>
<tr><td>अनूपपुर</td><td>RF-465</td><td>50</td><td>द. शहडोल</td><td>RF-859</td><td>50</td></tr>
<tr><td>अनूपपुर</td><td>RF-298</td><td>20</td><td>द. शहडोल</td><td>RF-875</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">योग–</td><td>220</td><td></td><td></td><td>220</td></tr>
</table>
इसके अतिरिक्त 02 CA पेंचेस में सुधार कर पुनरीक्षित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना निम्नानुसार है :–
<table>
<tr><th>वन मण्डल</th><th>वनकक्ष क्रमांक</th><th>रकबा (हेक्टे. में)</th></tr>
<tr><td>अनूपपुर</td><td>PF-430</td><td>50</td></tr>
<tr><td>अनूपपुर</td><td>RF-455</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="2">योग–</td><td>100</td></tr>
</table>
इस प्रकार पुनरीक्षित क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना के 07 पेंचेस के रकबा 220 + 100 = 320 हेक्टेयर वन क्षेत्र की योजना ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–2 में उपयुक्तता प्रमाण सहित अपलोड कर दी गई है। योजना की हार्ड प्रति संलग्न प्रस्तुत है।</td>
</tr>
</table>

vii	The Cost Benefit analysis is required to be revised as per the guidelines of the Ministry and keeping in view the revised rates of the NPV.	आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित कास्ट बेनेफिट एनालिसिस की जानकारी ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–1 के G (i) (a) में अपलोड कर दी गई है तथा इसकी हार्ड प्रति Annexure-III पर संलग्न प्रस्तुत है।

अतः आवेदक संस्था का पत्र दिनांक 30.08.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक, शहडोल के पत्र क्रमांक/6930 दिनांक 1909.2022 से प्राप्त जानकारी संलग्न है। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किये जाने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

21/9/2022

(सुनील अग्रवाल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ–1/ FP/MP/MIN/39881/2019/ 3258 — भोपाल, दिनांक 21/09/2022

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, शहडोल वृत्त शहडोल मध्य प्रदेश ।
2. वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वन मण्डल, अनूपपुर मध्य प्रदेश
3. महाप्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, हंसदेव क्षेत्र, साउथ झगराखण्ड कालरी जिला करेरा, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

21/9/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल